प्रकरण क्रमांक 34/बी-121/14-15

न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद (म0प्र0)

प्ररूप–पाँच

(देखिये नियम–12)

कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक 20/7/2015 अनुमति क्रमांक 22 /2015

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण ,निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आवेदक शील कन्स्ट्रक्शन प्रो. शील मोहबे आ कृष्ण कुमार मोहबे निवासी कोलार रोड भोपाल को ग्राम फेफरताल तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद में स्थित व्यपवर्तित **भूमि सर्वे नं 633/1 ,638 ,611 रकबा क्रमश 0.557 ,1.319 एवं 0.0139 हेक्टर कुल रकबा 2.169 हेक्टर** पर आवासीय कालोनी विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(1) शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 मे उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मे उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा ।

(2) म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भू–व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा ।

(3) म0प्र0नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा ।

(4) कमजोर वर्ग के भूखंडो/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा ।

(5) विकास की अनुमति "नियम" की शर्तो का पालन कर विकास कार्य अधिकतम दो–वर्ष मे पूर्ण करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है ।

(6) कालोनी विकास पूर्ण होने पर कालोनाईजर द्वारा कालोनी के प्लाट विक्रय करने की अनुमति पृथक से लेना होगी ।

(6) दिनांक 20–07–2017 तक विकास कार्य पूर्ण करना होगा ।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
जिला होशंगाबाद

Scanned by CamScanner